पंचदश बिहार विधान सभा

षोडश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-18.03.2015 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री अरूण शंकर प्रसाद, स०वि०स० श्री राम नरेश यादव, स०वि०स० श्री मोती लाल प्रसाद, स०वि०स० श्री अमन कुमार, स०वि०स०	"मधुबनी जिला में किसानों के कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में 15 करोड़ 35 लाख 33 हजार 2 सौ रूपये सरकार ने उपलब्ध कराये थे । अभी तक 65 लाख रूपये ही खर्च हो सके हैं । चार कृषि मेला में जिले के 10 हजार 540 किसानों ने कृषि यंत्र खरीद के लिये ऑन लाइन आवेदन किया । इनमें से मात्र 4721 किसानों को ही स्वीकृति पत्र दिया गया, जिसमें से मात्र 257 किसान को ही अनुदान का लाभ प्राप्त हो सका है । ऑन लाइन आवेदन के बावजूद भी विभाग की ओर से स्वीकृति पत्र नहीं मिलता है जिस कारण किसान उक्त मेला में चाह कर भी कृषि यंत्र की खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं । कृषि समन्वयक, किसान तकनीशियन एवं पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण किसान इस योजना से वंचित हो रहे हैं । अतः किसानों के कृषि यंत्रों में अनुदान की राशि का शत्-प्रतिशत लाभ न दिलाने के लिए जिम्मेवार पदाधिकारियों पर कार्रवाई हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	कृषि

1	2	3	4
2.	श्रीमती गुड्डी देवी, स०वि०स० श्री परमानंद ऋषिदेव, स०वि०स० श्री सुनील कुमार पिन्टू, स०वि०स० मो० सरफुद्दीन, स०वि०स० श्रीमती सुनीता सिंह, स०वि०स०	"बिहार राज्य में पटना, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, मुंगेर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर एवं सीतामढ़ी सहित 49 ऐसे पुल हैं जिस पर 1 अप्रैल, 2015 से बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के द्वारा टोल टैक्स/पथकर वसूलने का निर्णय लिया गया है । इस निर्णय से आम जनता पर कर का भार पड़ेगा । इससे यातायात एवं खाद्य सामग्रियों का मूल्य बढ़ने से महँगाई बढ़ेगी । अत: आम जनता पर महँगाई के बोझ को कम करने के लिए उक्त जिलों में पथकर/टोल टैक्स की वसूली रोकने के लिए हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	पथ निर्माण

हरेराम मुखिया
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-5/15- 466 / वि०स०, पटना, दिनांक- 17 मार्च, 2015 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / कृषि विभाग तथा पथ निर्माण विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

17-3-15

(भूषण कुमार झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-5/15- 466 / वि०स०, पटना, दिनांक- 17 मार्च, 2015 ई० ।

प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

17-3-15

(भूषण कुमार झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

17/3/15